BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPLAL BENCH NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 549 OF 2019

IN THE MATTER OF

MAHAKAR SINGH Applicant

Versus

STATE OF UTTAR PRADESH Respondents.

SUBMISSIONS ON BEHAL OF APPLICANT IN RESPONSE TO COUNTER AFFIDAIVT OF THE PROJECT PROPONENT

1. The counter affidavit filed by Respondent no. 2 is false and misleading.

2. The Hon'ble NGT while considering the successive reports of the Joint Committee dated 23.11.2019, 13.07.2019, 09.03.20121 and 21.09.2021 has observed that the project proponent has violated various provisions of law and exceeded its environmental permissions to a large extent.

3. The Hon'ble NGT while considering various reports by the joint committee has stressed upon fact that joint committee should take remedial action and decide the compensation amount which Project Proponent is liable to pay. Further, report dated 18.10.2022 shows the loss of Environment in monitory terms caused by the Project Proponent.

4. The antecedents of the Applicant has been discussed by the Project Proponent to divert the attention of court from real issues at hand.

2

About the said FIR it is important to mention that the said FIR is an after thought and has been registered at the instance of the R-2 to discourage the Applicant from taking environmental actions against the R-2. The Rather Forest department has fined project proponent with Rs. 1,00,000/- due to violation found under The Uttar Pradesh Protection of Trees Act, 1976.

The antecedents of the Applicant have been maligned by the PP to divert the attention of court from real issues at hand. About the said FIR it is important to mention that the said FIR is an after thought and has been registered at the instance of the PP to discourage the Applicant from taking legal re-course against the PP against illegalities committed by PP. Rather the Forest department has fined project proponent with Rs. 1,00,000/- due to violation found under The Uttar Pradesh Protection of Trees Act, 1976.

Details of the complaints lodged by the Applicant:

i) **On 20.06.2018** – The District magistrate Gautam Budhh Nagar was requested to take cognisance of complaint letter dated 04.04.2018, 04.05.2018 and 16.05.2018 regarding encroachment of govt land for extension of Wave city project. (**Annexure A/1)**

ii) **On 03.07.2018 –** Complaint regarding illegal cutting of green trees by Wave city Pvt Ltd was reported to concerned SDM. (**Annexure A/2)**

iii) **On 04.07.2018 -** Complaint dated 04.07.2018 was submitted to DFO regarding cutting of green trees. **(Annexure A/3)**

iv) **On 13.07.2018-** Applicant first time submitted complaint to the Hon'ble NGT at Dak Counter **(Annexure A/4)**.

v) **On 06.08.2018, 31.08.2018, 05.10.2018, 06.10.2018, 24.10.2018, 25.10.2018, 26.10.2018, 04.12.2018** the Applicant submitted various complaints regarding illegal felling

of fully grown green trees with officers of Forest department. **(Annexure A/5 Colly)**

In counter blast of my complaints, the Project Proponent got the Applicant falsely implicated in false criminal case. It is unfortunate that govt authorities did not take any action against the culprit rather lodged false case against the Applicant on 05.12.2018 alleging false facts of incident dated 02.11.2018. Thus, FIR referred by the PP was registered at the instance of PP against applicant is an vindictive action against applicant. The **date on FIR is 05/12/2018**. Thus, the said FIR dated 5.12.2018 is an act of revenge by the Project Proponent.

It is important to mention that the said illegal activities of cutting trees was rather carried out by PP itself and about which the Applicant has made **prior complaints** to various authorities of Gautam Budhh Nagar.

The alleged act of felling of trees by Applicant as claimed by Project proponent is like pot calling the kettle black. It was Applicant who made call on 100 no. to Police on said date. The detailed call record may be summoned by the Hon'ble Tribunal from the Police Authorities. This matter requires CBI Enquiry.

5. It is submitted that the complaint made by the Applicant to this tribunal is genuine as also observed by the various reports of the joint committee.

6. As per the affidavit of CGWA, M/s Uppal Chadha Hi Tech Developers Pvt. Ltd. (Wave Hi Tech Township) is liable to pay Environmental Compensation for unauthorized ground water extraction for construction purposes during the period from the date of sanction of the project/commencement of construction to the date of completion of construction/ handing over of the possession. The

4

area in question falls in over exploited area and ground water can be extracted only for drinking and domestic usage. The Project Proponent has tried to justify source of water as outsourced through tanker. The project proponent has come with concocted story and lame excuse with manipulated receipts. Without prejudice to objections taken against the theory of outsourced water, it is humbly submitted that procuring water from unauthorised source itself is illegal. It has not been disclosed that whether entity supplying the water was having such permission to supply the water from commercial purpose. Whether that entity was having legal source of water to supply water at such large scale. Notice should be issued to said water supplier to dig out the truth and have regulatory mechanism. It is also important to note that permissions from CGWA are not meeting the law laid down by this Hon'ble Tribunal in **Sushil Bhatt Judgment (OA No.69/2020)**.

Consent to Operate

7. The Hon'ble Tribunal has at para 4 of order dated 06.01.2022 has rightly observed that The Consent to Operate (CTO) dated 17.03.2020 was for built-up area of 1,49,292 Sqm. Before consent to operate and other permissions, construction started in January 2016 itself and built-up area 6,87,059 Sqm has been constructed, in excess of permitted area of construction. Thus on 17.03.2020 the PP has permission to operate only on built up area of 1,49,292 sqm whereas PP has already constructed more than 6,87,059 sqm of built up area. Thus, PP has violated the CTO conditions by constructing more than the permissible built up area.

Ground water

8. Further, as per the report of joint committee dated 21.09.2021 at para 3.4, committee has assessed the water consumption during the

construction phase. It is clear that NOC for ground water extraction was obtained only in year 2019 whereas the project got environmental clearance much earlier and started operations prior to 2019. The committee has considered the report of PWD in this regard. As per PWD report, total estimated water consumption during the construction phase of the Hi-Tech Wave City Project, Ghaziabad is 99903.19 KL (During the construction period of 2016 to 31.08.2021).

9. The concern is of illegal extraction of ground water during the period before grant of NOC.

10. The Hon'ble Tribunal has rightly observed that such type of discrepancies and violations, the liability is to be assessed as per observations of the Hon'ble Supreme Court in Goel Ganga Developers India Pvt. Ltd. v UOI which is equal to the 10% of the project cost apart from the Criminal Prosecution.

11. The applicant craves liberty submit to file additional submissions as and when need arises.

Prayer

It is thus prayed that the Project proponent be directed to pay the environment compensation as per the assessment observed by the Joint committee dated 18/10/2022.

Strict implementation of Environmental norms must be regulated from Central Agencies.

Criminal Prosecution Under E P Act, Air Act, water Act and PMLA must be initiated against the Project Proponent.

[illegible]

Applicant

Date -

Place - New Delhi

[illegible]

S/o Shri Ram ...

Post gram Dujana

Tehsil Dadri Gautam Buddh

Nagar. U.P.

M. : 9540247047
8750741002

6

महकार सिंह गुर्जर

निर्दलीय प्रत्याशी 62 दादरी विधान सभा
भूतपूर्व 2017

Annexure A/1

दिनांक: 20/6/2018

सेवा में,

श्रीमान जिलाधिकारी महोदय
गौतमबुद्धनगर।

विषयः दुजाना व आसपास के गांवों में वेव सिटी द्वारा चल विस्तार पर रोक व ग्राम समाज की एवं सरकारी जमीन अवैध कब्जा से मुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि मेरे द्वारा पूर्व में प्रार्थना पत्र दिनांक 04.04.2018, 04.05.2018 एवं 16.05.2018 का संदर्भ लेने का कष्ट करें। (प्रतिलिपि संलग्न) महोदय बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उपरोक्त तीनों पत्रों में अभी तक कोई भी ठोस कानूनी कार्यवाही नहीं की गयी है।

महोदय गांव दुजाना व आसपास के दर्जनों गांव में वेब सिटी द्वारा चल रहे विस्तार तथा ग्राम समाज एवं सरकारी जमीन पर कुछ लोगों के द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है। जिससे मुक्त कराने का कष्ट करें। हमारी आपसे विनती है कि मेरे उपरोक्त विषय को संज्ञान में लेते हुए जल्द से जल्द कानूनी कार्यवाही करने का दिशा–निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

धन्यवाद

20-6-18
प्राप्त किया
जिलाधिकारी
कार्यालय
गौतमबुद्ध नगर

प्रार्थी

महकार सिंह गुर्जर

तहसील दिवस – तहसील दादरी

1. प्रार्थना पत्र का क्रमांक 1011300......1015..........

2. दिनांक......3/7/18..........

3. शिकायतकर्ता का नाम......महकार सिंह..........

4. पता......दुजाना के आस पास के गाँव..........

5. प्रार्थना पत्र का विषय......पेडो की कटाई के

......सम्बन्ध मे..........

6. प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

M: [illegible]
8750741002

8

~~महकार सिंह गुर्जर~~

निर्दलीय प्रत्याशी 62 दादरी विधान सभा

भूतपूर्व 2017

Annexure A/2

दिनांक 03/7/2018

सेवा मे,

श्रीमान उप–जिलाधिकारी महोदय,

जिला–गौतमबुद्ध नगर

विषय: वेब सिटी द्वारा क्षेत्रीय विस्तार हेतु ग्राम सभा व सरकार की जमीन पर लगे हरे–भरे पेड़ों को गैर तरीके से काटने तथा उसके विस्तार पर रोक लगाने तथा जांच आदेश पारित न होने तक इन पर रोक लगाने हेतु महोदय को प्रार्थना पत्र।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि जिला–गौतमबुद्ध नगर में स्थित गांवों जैसे दुजाना, कचेड़ा, [illegible], बम्हैटा, गिरधरपुर व इत्यादि गांवों में लगे हरे–भरे पेड़ जिसमें (नीम, शीशम, आम, जामुन, पीपल व अन्य) पेड़ों की अंधाधुंध कटाई वेब–सिटी प्रा0लि0, अपने क्षेत्रीय विस्तार के लिए बिना सरकार की इजाजत के कटाई कर रही है, जिससे पर्यावरण एवं प्रदूषण के लिए एक गम्भीर खतरा उत्पन्न हो रहा है। वेब–सिटी न केवल ग्राम समाज की जमीनों बल्कि सरकारी जमीनों पर भी लगे पेड़ों को काट रहा है। इस तरह से लगातार हो रही सरकारी व ग्राम समाज की जमीन पर लगे पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए सरकार को सूचित कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से अभी तक पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने हेतु कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गयी है।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि जब तक पेड़ों की कटाई हेतु विभाग द्वारा जांच के आदेश पूरे नहीं हो जाते तब तक पेड़ों की कटाई एवं वेबसिटी के विस्तार पर पर रोक लगाने की कृपा करें।

आपकी

प्रार्थी

महकार सिंह गुर्जर

(समाज सेवी)

महकार सिंह गुर्जर

निर्दलीय प्रत्याशी 62 दादरी विधान सभा

2017

M... 8750741002

9

Annexure- A/3

दिनांक 04/07/2018

दिनांक.................

डिवीजनल अधिकारी (DFO)

श्रीमान ~~क्षेत्रीय अधिकारी~~ महोदय,

E-L ~~एन0जी0टी0 ई-12~~, सैक्टर-1, नौएडा

जिला गौतमबुद्ध नगर उ0 प्र0

विषय :- वेब सिटी द्वारा क्षेत्रीय विस्तार हेतु ग्राम सभा व सरकार की जमीन पर लगे हरे-भरे पेडो को गैर तरीके से काटने तथा उसके विस्तार पर रोक लगाने तथा जांच आदेश पारित न होने तक इन पर रोक लगाने हेतु प्रार्थना पत्र।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि जिला गौतमबुद्ध नगर में स्थित गांवों जैसे दुजाना, कचेडा दुरयिाई, बम्हैटा, गिरधरपुर व इत्यादि गांवों में लगे हरे भरे पेड़ जिसमें (नीम, शीशम, आम, जामुन, पीपल, अन्य)पेडों को अवैध रूप से अंधाधुंड काटाई वेब-सिटी प्रा0 लि0, अपने क्षेत्रीय विस्तार के लिए बिना सरकार की इजाजत के कटाई कर रही है, जिससे पर्यावरण एवं प्रदूषण के लिए एक गम्भीर खतरा उत्पन्न हो रहा है। वेब-सिटी न केवल ग्राम समाज की जमीनों बल्कि सरकारी जमीनों पर भी लगे पेडो को काट रहा है। इस तरह से लगतार हो रही सरकारी व ग्राम समाज की जमीन पर लगे पेड़ो की कटाई और वेब-सिटी के विस्तार पर रोकने के लिए सरकार को सूचित कर चूके है। लेकिन प्रशासन की ओर से अभी तक पेडो की कटाई पर रोक लगाने हेतु ठोस कार्यवाही नहीं की गयी है।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि जब तक पेडो की अवैध रूप से कटाई हेतु विभाग द्वारा जांच के आदेश पूरे नहीं हो जाते तब तक पेडों की कटाई एवं वेब-सिटी के विस्तार पर रोक लगाने की कृपा करें।

प्रार्थी

महकार सिंह गुर्जर

(समाज सेवी)

मो0-8130880980

महकार सिंह गुर्जर

निर्दलीय प्रत्याशी 62 दादरी विधान सभा
भूतपूर्व 2017

M. : ~~9540247041~~ 8750741002
9130880980

10

Annexure-A4

दिनांक: 13.07.2018

NATIONAL GREEN TRIBUNAL
Principal Bench, New Delhi
Receipt & Issue Branch
Received
13 JUL 2018
Dairy No. 3030
Signature AB 13/07/18

सेवा में,

श्रीमान चैयरमैन महोदय,
राष्ट्रीय हरित न्यायालय,
फरीदकोट हाऊस, कॉपरनिक्स मार्ग,
नई दिल्ली–110001

विषय :– वेब सिटी प्रा0 लिमिटेड द्वारा क्षेत्रीय विस्तार हेतु ग्राम सभा व सरकारी जमीन जैसे कि चकरोड व बरहा व पोखर की सरकारी जमीनों पर लगे हरे–भरे पेडों को गैर कानूनी ढंग से काटने से हो रहे पर्यावरण नुकसान व प्रदूषण के कारण इन पेड़ों की कटाई व वेब सिटी विस्तार पर रोक लगाने एवं जॉच आदेश पारित करने के सम्बन्ध मे महोदय को प्रार्थना पत्र ।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि जिला–गौतमबुद्ध नगर में स्थित गांवों जैसे दुजाना, कचेड़ा, दुररियाई, बम्हैटा, गिरधरपुर व इत्यादि गांवों में लगे हरे–भरे पेड़ जिसमें (नीम, शीशम, आम, जामुन, पीपल व अन्य) पेडों की अंधाधुंध कटाई वेब–सिटी प्रा0 लि0, अपने क्षेत्रीय विस्तार के लिए बिना सरकार की इजाजत के कटाई कर रही है, जिससे पर्यावरण एवं प्रदूषण के लिए एक गम्भीर खतरा उत्पन्न हो रहा है । वेब–सिटी न केवल ग्राम समाज की जमीनों बल्कि सरकारी जमीनो पर भी लगे पेडों को काट रहा है । इस तरह से लगातार हो रही सरकारी व ग्राम समाज की जमीन पर लगे पेडों की कटाई को रोकने के लिए सरकार को लिखित में दिनांक 03.07.2018 एवं दिनाक 04.07.2017 दिनांक 04.072018 के द्वारा सूचित कर चुके हैं, जिसकी फोटोकापी इस पत्र के साथ संलग्न है । लेकिन प्रशासन की ओर से अभी तक पेडों की कटाई पर रोक लगाने व विस्तार हेतु कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गयी है ।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि जब तक पेडों की कटाई हेतु विभाग द्वारा जॉच के आदेश पूरे नहीं हो जाते तब तक पेडों की कटाई एवं वेब–सिटी के विस्तार पर तुरन्त रोक लगाने की कृपा करें, अन्यथा पर्यावरण की गम्भीर समस्या हो सकती है । धन्यवाद ।

प्रार्थी :–

(signature)

(महकार सिंह गुर्जर)
समाज सेवी

संलग्नकः फोटो की प्रतियॉ (समस्त)

ग्राम पोस्ट दुजाना, तहसील दादरी, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश–203207

महकार सिंह गुर्जर

निर्दलीय प्रत्याशी 62 दादरी विधान सभा

भूतपूर्व 2017

M. : ~~9540247047~~
8750741002
8130920980

Annexure-M5

दिनांक: 06/08/2018

RTI ACT, 2005 (ANNEXURE –A)

प्रभागीय वन अधिकारी (डी0एफ0ओ0), ई–1, सेक्टर–1, नोएडा जिला गौतम बुद्ध नगर (उ0 प्र0) [illegible] को अपनी समस्या के निराकरण के सम्बन्ध में वेव सिटी एवं हाईटेक के खिलाफ कानूनी कार्यवाही हेतु कई प्रार्थना पत्र आपके कार्यालय को भेजे गये किन्तु आज तक एक भी मामले में कोई भी ठोस कार्यवाही नहीं की गई अतः अब हमें निम्नलिखित जानकारी से अवगत कराने का कष्ट करें :–

निम्नलिखित जानकारी से अवगत करायें :–

1. दिनांक 04.07.2018 को भेजे गये शिकायत पत्र के मामले से सम्बन्धित में अब तक क्या कार्यवाही हुई तथा विभागीय कार्यवाही में वेव सिटी व हाईटेक के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई ? जानकारी से अवगत करायें (शिकायत पत्र की छाया प्रति संलग्न है)
2. दिनांक 04.07.2018 शिकायत पत्र के सम्बन्ध में अब तक वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही वेव सिटी व हाईटेक सिटी के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई ? जानकारी से अवगत करायें ।
3. हमारे पत्र के सम्बन्ध में सम्बन्धित सक्षम अधिकारी वन विभाग गौतम बुद्ध नगर/ दादरी से वेव सिटी व हाईटेक द्वारा अनुमति ली गई थी अथवा नहीं ? जानकारी से अवगत करायें
4. कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी गौतम बुद्ध नगर, वन प्रभाग गौतम बुद्ध नगर के पत्रांक 22–20 दिनांक 25.07.2018 के सम्बन्ध में विभाग द्वारा क्या आवश्यक कार्यवाही की गई ? जानकारी से अवगत करायें ।
5. प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम एवं पता मोबाइल नं0 की जानकारी से अवगत करायें ।

कृपया उपरोक्त जानकारी हिन्दी भाषा में रजिस्टर्ड डाक द्वारा निम्नलिखित पते पर 30 दिनों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

[Stamp: गौतमबुद्धनगर ... वन ...] 06/8/18

महकार सिंह

सूचना प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर :–
(महकार सिंह)
समाजसेवी

ग्राम पोस्ट दुजाना, तहसील दादरी, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश 203207
[illegible]@gmail.com

कार्यालय **प्रभागीय** वनाधिकारी गौतमबुद्धनगर **वन प्रभाग** ई–1 सै0 1 नोएडा।
पत्रॉक 854/2-1 **दिनॉक** गौतमबुद्धनगर 31-8- 2018 ।

प्रेशक,

प्रभागीय वनाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग,
गौतमबुद्धनगर।

सेवा में,

श्री महकार सिंह,
ग्राम व पोस्ट दुजाना,
तहसील दादरी,
जिला गौतमबुद्धनगर–203207

महोदय,

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के नियम 6(1) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु सम्बोधित कर आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र जो इस कार्यालय के रजिस्टर के क्रमॉक 953 दिनॉक 06–08–2018 में अंकित है। आप द्वारा मॉगी गयी बिन्दुवार सूचना निम्न प्रकार है।

1:– आप द्वारा आई0जी0आर0एस0 पर प्रेषित शिकायती पत्र पर इस कार्यालय के पत्रांक 277/33–3 दिनांक 21–07–2018 द्वारा प्रकरण की जॉच कराकर विस्तृत जॉच आख्या प्रेषित की गयी है। (कार्यालय में उपस्थित होकर परीक्षण कर सकते है।)

2:– जॉच अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि मौके पर किसी भी वृक्ष का अवैध कटान नहीं किया गया हैं। अतः वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 के अन्तर्गत कार्यवाही नही की जा सकती।

3:– किसी प्रकार की अनुमति नहीं ली गयी।

4:– विभाग द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

5:– प्रथम अपीलीय अधिकारी–

पदनामः– वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक सामाजिक वानिकी मेरठ वृत्त मेरठ

पता :– कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक सामाजिक वानिकी मेरठ वृत्त मेरठ 223/1 सिविल लाईन निकट कैलाश प्रकाश स्टेडियम,मेरठ

फोन नम्बर–0121–2664726

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी
गौतमबुद्धनगर

14

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग ई–1 सै0 1 नोएडा।

पत्रॉक 1323/2-1 **दिनॉक** गौतमबुद्धनगर 5-10-2018 ।

प्रशक,

प्रभागीय वनाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग,
गौतमबुद्धनगर।

सेवा में,

श्री महकार सिंह,
ग्राम व पोस्ट दुजाना,
तहसील दादरी,
जिला गौतमबुद्धनगर–203207

विषयः– सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा–6(3) के अन्तर्गत आवेदन पत्र दिनांक 06–08–2018 अन्तरित किये जाने के संबंध में।

संदर्भः– प्रभारी अधिकारी (जन0सू0), कृते जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर का पत्रांक 897/ई0आर0के0/आर0टी0आई0/अन्तरित/2018 दिनांक 03–10–2018

महोदय,

उपरोक्त विशयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें जो अधोहस्ताक्षरी को सम्बोधित एवं आपकों पृष्ठांकित है, के साथ आपका आवेदन पत्र दिनांक 26–09–2018 की प्रति संलग्न कर सूचना उपलब्ध कराने हेतु प्रेशित की गयी है।

इस संबंध में अवगत कराना है कि आपके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने हेतु अपना आवेदन पत्र दिनांक 06–08–2018 इस कार्यालय में उपलब्ध कराया गया था जिसके कम में इस कार्यालय के पत्रांक 854/2–1 दिनांक 31–08–2018 द्वारा बिन्दुवार सूचना आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये पते पर निर्धारित समयान्तर्गत प्रेषित की गयी है। (छायाप्रति संलग्न है)

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी
गौतमबुद्धनगर

पत्रांक / दिनांकित

प्रतिलिपि प्रभारी अधिकारी (जन0सू0), कृते जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर को संदर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि उपजिलाधिकारी, दादरी को संदर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी
गौतमबुद्धनगर

15

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग ई–1 सै0 1 नोएडा।
पत्रॉक 854/2-1 दिनॉक गौतमबुद्धनगर 31-8–2018 ।

प्रेशक,

प्रभागीय वनाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग,
गौतमबुद्धनगर।

सेवा में,

श्री महकार सिंह,
ग्राम व पोस्ट दुजाना,
तहसील दादरी,
जिला गौतमबुद्धनगर–203207

महोदय,

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के नियम 6(1) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु सम्बोधित कर आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र जो इस कार्यालय के रजिस्टर के कमॉक 953 दिनॉक 06–08–2018 में अंकित है। आप द्वारा मॉगी गयी बिन्दुवार सूचना निम्न प्रकार है।

1:– आप द्वारा आई0जी0आर0एस0 पर प्रेषित शिकायती पत्र पर इस कार्यालय के पत्रांक 277/33–3 दिनांक 21–07–2018 द्वारा प्रकरण की जॉच कराकर विस्तृत जॉच आख्या प्रेषित की गयी है। (कार्यालय में उपस्थित होकर परीक्षण कर सकते है।)

2:– जॉच अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि मौके पर किसी भी वृक्ष का अवैध कटान नहीं किया गया है। अतः वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 के अन्तर्गत कार्यवाही नही की जा सकती।

3:– किसी प्रकार की अनुमति नहीं ली गयी।

4:– विभाग द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

5:– प्रथम अपीलीय अधिकारी–

पदनामः– वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक सामाजिक वानिकी मेरठ वृत्त मेरठ
पता :– कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक सामाजिक वानिकी मेरठ वृत्त मेरठ 223/1 सिविल लाईन निकट कैलाश प्रकाश स्टेडियम,मेरठ
फोन नम्बर–0121–2664726

भवदीय,

o/c

प्रभागीय वनाधिकारी
गौतमबुद्धनगर

16

सेवा में,

श्रीमान जिला वन विभाग महोदय,
सै0 01 नोएडा जिला– गौतमबुद्धनगर ।

विषय – वेव सिटी/हाई टेक सिटी ग्राम दुरियाई व कचैडा वारसाबाद में वेव सिटी द्वारा बिना किसी सूचना के पेड काटे जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र–

महोदय,

निवेदन यह है कि प्रार्थी महकार सिंह पुत्र श्री रामे सिंह निवासी ग्राम– दुजाना परगना व तहसील दादरी जिला– गौतमबुद्धनगर का निवासी है। यह कि वेव सिटी/हाई टेक सिटी ग्राम दुरियाई व कचैडा वारसाबाद में बिना किसी सूचना के पेड काटे जा रहे है जिससे वहां के ग्रामवासियों को काफी नुकसान हो रहा है। जिसकी कई बार प्रशासन व कार्यालय जिला वन विभाग अधिकारी सै0 01 नोएडा को भी सूचित किया गया तथा मौके पर पहुंचे सभी अधिकारी अपनी खानापूर्ति करके मौके से चले आये तथा आज तक कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। आज मौके पर कटे हुए पेड व काटने का सामान रस्सी आदि बरामद हुए है तथा थाना व पुलिस चौकी को सूचना देने के बाद मौके पर 100 नं0 की पी0सी0आर0 पहुंची तथा पुलिस ने कटा हुआ पेड व पेड काटने का सामान बरामद किया। जिसमें काटने वाले मौके से फरार हो गये। आपसे अनुरोध है कि वेव सिटी/हाई टेक सिटी द्वारा काटे जा रहे पेड वेव सिटी/हाई टेक सिटी के विस्तार पर तुरन्त रोक लगायी जाये तथा वेव सिटी/हाई टेक सिटी के खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही की जाये।

अतः श्रीमानजी से प्रार्थना है कि वेव सिटी/हाई टेक सिटी के खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही की जाये। श्रीमानजी की अति कृपा होगी। प्रार्थी सदैव आपका आभारी रहेगा।

दिनांक – 06/10/2018

प्रार्थी/समाज सेवी

महकार सिंह पुत्र श्री रामे सिंह निवासी
ग्राम– दुजाना परगना व तहसील दादरी
जिला– गौतमबुद्धनगर

6/10/18

17

कार्यालय सहायक जनसूचनाधिकारी / तहसीलदार दादरी(गौतमबुद्धनगर)

पत्रांक 389 / ज0सू0अधि0–दादरी / 2018 दिनांक 24/10/18

वन विभाग अधिकारी(डी0एफ0ओ0)
ई–1, सै0 1 नौएडा।

विषय– सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत चाही गयी सूचना सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक श्री महकार सिंह गुर्जर पुत्र श्री रामे सिंह निवासी ग्राम दुजाना परगना व तहसील दादरी जनपद गौतमबुद्वनगर द्वारा चाही गयी सूचना आपके स्तर से प्रदान की जानी है। अतः आवेदक के समस्त प्रार्थना पत्र मूल रूप में संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि आवेदक द्वारा चाही गयी सूचना आवेदक को सीधे प्राप्त कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

तहसीलदार / सहायक
जनसूचनाधिकारी
दादरी।

प्रतिलिपिः– 389/ RTI 24/10/18 (5)

1. प्रभारी अधिकारी(ज0सू0)गौतमबुद्वनगर को उनके पत्र सं0 739 दिनांक 24.07.2018, पत्र सं0 985 दिनांक 03.10.2018, पत्र सं0 897 दिनांक 03.10.2018 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्री महकार सिंह गुर्जर पुत्र श्री रामे सिंह निवासी ग्राम दुजाना परगना व तहसील दादरी जनपद गौतमबुद्वनगर कि वांछित सूचना सम्बधिंत विभाग / जिला वन अधिकारी से प्राप्त करना सुनिश्चित करे।

तहसीलदार / सहायक
जनसूचनाधिकारी
दादरी

18

सेवा में, दिनांक 25/10/2018

श्रीमान वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक महोदय,
समाजिक वानिकी मेरठ वृत्त मेरठ 223/1,
सिविल लाईन, नीयर कैलाश प्रकाश स्टेडिय,
मेरठ (उ0प्र0)

प्राप्त किया 25/10/18

विषय:- **आपके कार्यालय प्रभागीय बनाधिकारी गौतमबुद्ध नगर के आर टी आई जानकारी पत्रांक 854/2-1 दिनांक गौतमबुद्ध नगर 31.08.2018 गलत जानकारी उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में प्रथम अपील ।**

श्रीमानजी,

निवेदन यह है कि हमारे आर टी आई पत्रांक दिनांक 06.08.2018 का संदर्भ ग्रहण करें (छायाप्रति संलग्न है) जिसे आपके वनाधिकारी गौतमबुद्ध नगर को हमने अपने पहले की गई शिकायत से अवगत कराया तथा कार्यवाही करने के लिए अनुरोध किया था किन्तु उस शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं की गई और न ही हमें किसी जानकारी से अवगत कराया गया । उसके बाद मैने आर टी आई के माध्यम से जानकारी मांगी । जिसकी जानकारी **पत्रांक 854/2-1 दिनांक गौतमबुद्ध नगर 31.08.2018 द्वारा गलत जानकारी उपलब्ध गयी जो इस प्रकार है :-**

1. **प्रश्न** :- मैने वेब सिटी व हाईटेक के खिलाफ अवैध वृक्षों की कटाई के सम्बन्ध में वन विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

   उत्तरः- पत्रांक 277/33-3 दिनांक 21.07.2018 द्वारा प्रकरण की जांच कराकर विस्तृत जांच आख्या प्रेषित की गयी है । (कार्यालय में उपस्थित होकर परीक्षण कर सकते है) ।

   असंतुष्टिः- जब मैं वन विभाग के कार्यालय में परीक्षण की रिपोर्ट देखने के लिए गया तो वहां के अधिकारी ने धमकाते हुए यह कहा कि यहां तुम्हें कुछ नहीं दिखाया जायेगा तू मेरा बॉस है जो तुम्हें दिखाऊं चल यहां से भाग जा वर्ना तेरे खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

2. **प्रश्नः**-दिनांक 04.07.2018 शिकायत पत्र के सम्बन्ध में वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत वेब सिटी व हाईटेक के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

   उत्तर :- जांच अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि मौके पर किसी भी बृक्ष का अवैध कटान नहीं किया गया है । अतः वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं की जा सकती ।

   असंतुष्टिः- जवकि वृक्ष की कटाई के दौरान पुलिस विभाग को शिकायत करके मौके पर ग्रामवासियों द्वारा बुलाया गया पुलिस मौके पर आई पुलिस की मौजूदगी में वृक्षों के कटे हुए टुकडे सहित फोटो खींची गई जो इस पत्र के साथ संलग्न है तमाम फोटो में वन विभाग के अधिकरी पुलिस एवं वेब सिटी व हाईटेक के कर्मचारियों की मौजूदगी दर्शाती है तो इस तरह से वन विभाग के अधिकारी की गलत दी गई रिपोर्ट व जानकारी को दर्शाता है ।

3. **प्रश्नः**- जो वृक्ष काटे गये उनको काटने की वन विभाग से अनुमति वेब सिटी व हाईटेक सिटी द्वारा ली गई थी या नहीं ?

   उत्तरः- किसी प्रकार की अनुमति नहीं ली गई ।

असंतुष्टिः— जब वन विभाग से अनुमति वेब सिटी व हाईटेक द्वारा नहीं ली गई तो गैर कानूनी तरीके वृक्षों को क्यों काटा गया क्या कानून नाम की चीज कुछ नहीं है जो कानून तोडने वालों को सबक सिखा सके । बिना कानून की अनुमति लिए वृक्षों को अवैध तरीके से क्यों काटा गया क्या वन विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है ?

4. **प्रश्नः**— कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी गौतमबुद्व नगर के पत्रांक 22—20 दिनांक 25.07.2018 के सम्बन्ध में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तरः— विभाग द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है ।

असंतुष्टिः— जब विभाग द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है तो इस विभाग का कार्य क्या है सरकार द्वारा किस चीज का नियन्त्रण करने के लिए इस विभाग को स्थापित किया है ताकि पर्यावरण को बिगाडने एवं कुछ भी अवैध कार्य किया जा सके ।

उपरोक्त तथ्यों को देखने से पता चलता है कि वेब सिटी व हाईटेक द्वारा समस्त पुलिस कर्मियों एवं वन विभाग के अधिकारियों का मुंह अवैध तरीके से बन्द करके कानून को कैद कर लिया गया है जिसमें कार्यवाही करने की आवश्यकता ही नहीं महसूस हुई उल्टा शिकायत कर्ता को ही धमकाने फंसाने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल/दुरूपयोंग की संभावना बढ़ा दी गई है ।

उपरोक्त पत्र व्यवहार से सम्बन्धित समस्त छायाप्रतियां एवं फोटो इस प्रथम अपील के साथ उपलब्ध कराई जा रही है जिसका संदर्भ ग्रहण करते हुए स्वयं अवलोकन करें तथा विभाग के अधिकारी द्वारा जो गलत सूचनाएं उपलब्ध करायी गई हैं उनके विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें । सबूत के तौर पर वृक्षों की कटाई , पुलिस की मौजूदगी, कुछ और लोग ग्रामवासी की फोटो की छायाप्रतियॉ भेज रहा हूं ।

अतः श्रीमान्‌जी विनम्र अनुरोध है कि गलत सूचना उपलब्ध कराने के लिए विभागीय जांच कराकर दोषियों को दंडित किया जाये ताकि भविष्य में इस तरह की कार्यवाही करने से डरें तथा कानूनी दायरे में रहकर कार्यवाही करें । इस सम्बन्ध में जो आवश्यक कार्यवाही की जाये उस जानकारी से हमें पत्र द्वारा अवगत कराने की कृपा केरे । धन्यवाद् ।

संलग्नक : उपरोक्त लिखित समस्त समस्यायों से सम्बन्धित पत्रावलियों एवं वृक्षों की कटाई , पुलिस की मौजूदगी, कुछ और लोग ग्रामवासी की फोटो की छायाप्रतियॉ ।

महकार

महकार सिंह (समाज सेवी)
(एवं समस्त ग्रामवासी)
ग्राम व पोस्ट दुजाना,
तहसील दादरी, गौतम बुद्व नगर (उ0प्र0)
मोबाईल नं0 8130880980

प्रतिलिपिः—

1. श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय गौतमबुद्व नगर (उ0प्र0)
2. श्रीमान् प्रभागीय वनाधिकारी गौतमबुद्व नगर वन प्रभाग गौतमबुद्व नगर सेक्टर—1, नोएडा (उ0प्र0)
3. श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय, तहसील दादरी, जिला—गौतमबुद्व नगर (उ0प्र0)

20

सेवा में,

दिनांकः 26/10/2018

श्रीमान वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक महोदय,
समाजिक वानिकी मेरठ वृत्त मेरठ 223/1,
सिविल लाईन, नीयर कैलाश प्रकाश स्टेडिय,
मेरठ (उ0प्र0)

विषयः– आपके कार्यालय प्रभागीय बनाधिकारी गौतमबुद्व नगर के आर टी आई जानकारी पत्रांक 854/2–1 दिनांक गौतमबुद्व नगर 31.08.2018 गलत जानकारी उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में प्रथम अपील ।

श्रीमान्‌जी,

निवेदन यह है कि हमारे आर टी आई पत्रांक दिनांक 06.08.2018 का संदर्भ ग्रहण करें (छायाप्रति संलग्न है) जिसे आपके वनाधिकारी गौतमबुद्व नगर को हमने अपने पहले की गई शिकायत से अवगत कराया तथा कार्यवाही करने के लिए अनुरोध किया था किन्तु उस शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं की गई और न ही हमें किसी जानकारी से अवगत कराया गया । उसके बाद मैने आर टी आई के माध्यम से जानकारी मांगी । जिसकी जानकारी **पत्रांक 854/2–1 दिनांक गौतमबुद्व नगर 31.08.2018 द्वारा गलत जानकारी उपलब्ध गयी जो इस प्रकार है :–**

1. **प्रश्न :–** मैने वेब सिटी व हाईटेक के खिलाफ अवैध वृक्षों की कटाई के सम्बन्ध में वन विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

   उत्तरः– पत्रांक 277/33–3 दिनांक 21.07.2018 द्वारा प्रकरण की जांच कराकर विस्तृत जांच आख्या प्रेषित की गयी है । (कार्यालय में उपस्थित होकर परीक्षण कर सकते है) ।

   असंतुष्टिः– जब मैं वन विभाग के कार्यालय में परीक्षण की रिपोर्ट देखने के लिए गया तो वहां के अधिकारी ने धमकाते हुए यह कहा कि यहां तुम्हें कुछ नहीं दिखाया जायेगा तू मेरा बॉस है जो तुम्हें दिखाऊं चल यहां से भाग जा वर्ना तेरे खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

Received
26/10/2018
प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक
सामाजिक वानिकी, मेरठ क्षेत्र
मेरठ

2. **प्रश्नः–**दिनांक 04.07.2018 शिकायत पत्र के सम्बन्ध में वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत वेब सिटी व हाईटेक के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

   उत्तर :– जांच अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि मौके पर किसी भी बृक्ष का अवैध कटान नहीं किया गया है । अतः वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं की जा सकती ।

   असंतुष्टिः– जबकि वृक्ष की कटाई के दौरान पुलिस विभाग को शिकायत करके मौके पर ग्रामवासियों द्वारा बुलाया गया पुलिस मौके पर आई पुलिस की मौजूदगी में वृक्षों के कटे हुए टुकडे सहित फोटो खींची गई जो इस पत्र के साथ संलग्न है तमाम फोटो में वन विभाग के अधिकरी पुलिस एवं वेब सिटी व हाईटेक के कर्मचारियों की मौजूदगी दर्शाती है तो इस तरह से वन विभाग के अधिकारी की गलत दी गई रिपोर्ट व जानकारी को दर्शाता है ।

3. **प्रश्नः–** जो वृक्ष काटे गये उनको काटने की वन विभाग से अनुमति वेब सिटी व हाईटेक सिटी द्वारा ली गई थी या नहीं ?

   उत्तरः– किसी प्रकार की अनुमति नहीं ली गई ।